

भाग-V

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल *Recommended for Approval.*
टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए।)

दिनांक:- 17.3.2017

स्थान:-

हस्ताक्षर
वाई०एस०के० श्रीरामकुमार
मुख्य वन संरक्षक/नेटल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ। नाम
सरकारी मोहर